न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 97/2023 राजस्व वाद दायर दिनांक 13.6.2023

1– श्री जमनालाल पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा ––– वादी

बनाम

1– श्री हरलाल पुत्र हीरा जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
2– श्री शिवराज पुत्र भैरू जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
3– देबीलाल पुत्र भैरू जाट निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाडा।
4– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–
श्री नानूलाल तेली, छोटूलाल जाट अधिवक्ता–वादी
प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक– 07.03.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी सं0 1 से 3 के विरूद्व प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम भोली प0ह0 भोली भू.अ.नि. आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 162 में आराजी नम्बर 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 241/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 06 दिसम्बर 2021 को हुआ जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को होने पर माह सितम्बर 2022 में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा वादी की आराजी नम्बर 538/2 की दक्षिण मेड पर 17 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर अपनी आराजियात पत्थगरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमें वादी की आराजी नम्बर 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर मे से 17 बिस्वा भूमि जो कि मौका पर्चा में दर्शित कर रखी है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया वादी की आराजियात से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित वादी की आराजी नम्बर 538/2 मे से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा 17 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 20 मई 2023 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोडकर उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 वादी

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 उक्त आराजियात से कब्जा नही छोडेंगे तथा वादी प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का कुछ नही बिगड सकता है। वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पैश आयी है। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 162 में आराजी नम्बर 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर में से दक्षिण मेड पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा 17 बिस्वा भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा वादी की भूमि पर उसके द्वारा कब्जे करने की दिनांक से पुनः वादी को कब्जा सिपुर्द होने की दिनांक तक का हर्जाना प्रतिमाह प्रत्येक से 10,000/– रूपये के हिसाब से वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 से हर्जाने की राशि दिलाई जावे।

डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 से लगायत 03 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम भोली प0ह0 भोली की आराजी संख्या 538/2 में से दक्षिण मेड पर रकबा 17 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 को बेदखल करते हुए कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किया जावे। डिक्री से बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद पत्र पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस के दौरान वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी की ग्राम भोली पटवार हल्का भोली भू0अ0नि0 आटूण भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर स्थित है। आराजी संख्या 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर में से दक्षिण मेड पर हरलाल पिता हीरा जाट, शिवराज, देवीलाल पिता भैरू जाट का 17 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को सिपुर्द किया जाने की प्रार्थना की है।

:: **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 इस प्रकार है** ::

183 कतिपय अतिक्रमीयो की बेदखली :–

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में " बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादी के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 1.11.2022 के अनुसार ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर में से दक्षिण मेड पर 17 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने से वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 से लगायत 03 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी संख्या 538/2 रकबा 1.3530 हैक्टेयर में से दक्षिण मेड पर 17 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 अतिकमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर कब्जा वादी के सिपुर्द करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा